



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2011/आषाढ़ 27, 1933

No. 142]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2011/ASADHA 27, 1933

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2011

फा. सं. 9/22/2010-सीएस.—प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलों और आवेदनों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (प्रक्रिया) विनियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) “अपील” से अधिनियम की धारा 53ख की उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील अभिप्रेत है;

“(ग) “अपीलार्थी” से अधिनियम की धारा 53ख की उप-धारा (1) के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपील फाइल की है;

(घ) “आवेदन” से अधिनियम की धारा 42क या धारा 53ढ की उप-धारा (1) या धारा 53थ की उप-धारा (2) के अधीन

प्रतिकर के दावे के लिए फाइल किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” से—

(i) किसी व्यक्ति परिवार की दशा में कोई व्यक्ति, किसी स्वत्वधारी फर्म का एकमात्र स्वत्वधारी अभिप्रेत है,

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता अभिप्रेत है,

(iii) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रबंध निदेशक या निदेशक अभिप्रेत है,

(iv) किसी संगम या सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष या सचिव अभिप्रेत है,

(v) किसी भागीदारी फर्म की दशा में कोई भागीदार अभिप्रेत है,

(vi) सहकारी सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है,

(vii) भारत सरकार या राज्य सरकार का संयुक्त सचिव अभिप्रेत है,

(viii) किसी कानूनी प्राधिकरण की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 53घ की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) “आयोग” से अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;

- (ज) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 53घ की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के अधीन नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है;
- (झ) "पक्षकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने कोई आवेदन फाइल किया है या अधिकरण के समक्ष कोई अपील फाइल की है और जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ऐसे आवेदन या अपील का प्रत्यर्थी भी सम्मिलित है;
- (ञ) "रजिस्ट्रार" से अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अभिकरण का उप-रजिस्ट्रार भी है;
- (ट) "रजिस्ट्री" से प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण की रजिस्ट्री अभिप्रेत है;
- (ठ) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 53क की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) वे शब्द और पद जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं लेकिन परिभाषित नहीं हैं और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में परिभाषित हैं उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है।

3. अधिकरण की भाषा.—(1) अधिकरण की कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएंगी।

(2) अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा में किसी अपील, आवेदन, दस्तावेज या अन्य कागज पत्रों को अधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद न हो और उस अनुवाद को किसी अनुवादक द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो तथा संबंधित पक्षकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों।

4. अधिकरण की बैठकें.—सामान्यता अधिकरण की बैठकें नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में और ऐसे स्थानों में होंगी जिन्हें साधारण या विशेष आदेश द्वारा अध्यक्ष द्वारा निदिष्ट किया गया हो।

5. अधिकरण की शासकीय मुद्रा.—(1) अधिकरण की प्रत्येक सूचना, आदेश और निर्णय पर अधिकरण की मुद्रा लगी होगी।

(2) अधिकरण की शासकीय मुद्रा रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में होगी।

6. रजिस्ट्रार के कृत्य—रजिस्ट्रार—

- (क) अपील, आवेदन, अंतर्वर्ती और यथास्थिति, ऐसी अपीलों या आवेदनों से संबंधित सभी अन्य प्रकीर्ण आवेदन ग्रहण और रजिस्टर करेगा;
- (ख) अधिकरण के सभी अभिलेखों को बनाए रखेगा;
- (ग) अधिनियम की धारा 53(न) के अधीन किसी अपील की दशा में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिकरण का प्रतिनिधित्व करेगा; और
- (घ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा जिन्हें समय-समय पर अध्यक्ष निर्दिष्ट करे।

7. अपील या आवेदन का रजिस्ट्रीकरण.—(1) प्रत्येक अपील या किसी शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन के आक्षेपित निदेश, विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रति का सत्यापन किया जाएगा और यदि वे ठीक पाए जाते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा तथा क्रम संख्यांक दिया जाएगा।

(2) यदि संवीक्षा करने पर अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तब अपीलार्थी को यह सलाह दी जाएगी कि वह त्रुटियों की परिशुद्धि करे और अपीलार्थी द्वारा त्रुटियों की परिशुद्धि कर दिए जाने के पश्चात् अपील को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(3) अपीलार्थी को सूचना दिए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई अपील को अधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् अधिकरण या तो सरसरी रूप से इसे खारिज कर देगा या सभी आवश्यक पक्षकारों को सूचना जारी करने का निदेश करेगा या उसे आदेश कर सकता है जो मामले की परिस्थितियों के लिए अपेक्षित हो।

(4) यदि अधिकरण संबंधित पक्षकारों को सूचना जारी करने का निदेश करता है तब रजिस्ट्रार अधिकरण के आदेश और सभी प्रत्यर्थियों को अपील की प्रति के साथ सूचना जारी करेगा।

(5) जहां किसी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई से पहले अपीलार्थी अपनी अपील प्रत्याहृत करना चाहता है तब वह अधिकरण को उस प्रभाव का एक आवेदन करेगा।

8. अधिकरण के समक्ष अभिवचन.—(1) यथास्थिति अपील या आवेदन, प्रत्युत्तर, उत्तर अनुपूरक अभिवचन या अन्य दस्तावेज की चार प्रतियाँ अधिकरण के अभिलेख के लिए होंगी और ऐसी ही अतिरिक्त संख्या की प्रतियाँ प्रत्यर्थियों को तामील की जाएंगी।

(2) उत्तर के तत्पश्चात् कोई अभिवचन अधिकरण के समक्ष तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिकरण द्वारा, ऐसे निबंधनों पर जो वह उचित समझे, इजाजत न दे दी गई हो।

9. सूचना या अन्य दस्तावेजों की तामिली.—किसी व्यक्ति को तामिल की जाने वाली या प्रदत्त की जाने वाली अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज रजिस्ट्रार द्वारा स्पीड पोस्ट या कोरियर या ई-मेल द्वारा उस व्यक्ति को या उसकी तामिली को स्वीकार करने के लिए सशक्त अभिकर्ता को भेजा जाएगा।

10. सुनवाईयों का स्थगन.—अधिकरण, यदि किसी कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर सुनवाई को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है तब वह सुनवाई को ऐसे समय या तारीख के लिए स्थगित कर सकता है जो किसी मामले में वह समुचित समझे किंतु अधिकरण पूरी कार्यवाही के दौरान तीन से अधिक स्थगन मंजूर नहीं करेगा।

11. एकपक्षीय सुनवाई.—यदि कोई पक्षकार सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख पर कार्यवाही में हाजिर नहीं होता है तब अधिकरण ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कार्यवाहियाँ चालू रख सकता है।

12. अभिलेखों की अभिरक्षा.—रजिस्ट्रार अधिकरण के अभिलेखों को बनाए रखेगा और किसी मामले या विषय में फाइल

किया गया अभिलेख या दस्तावेज को अधिकरण की इजाजत के बिना अधिकरण की अभिरक्षा से ले जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

13. निरीक्षण और दस्तावेजों तथा अन्य कागज पत्रों की प्रमाणित प्रतियां.—(1) अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी आवेदन को रजिस्ट्रार को संबोधित करेगा कि उसे नियमों में विनिर्दिष्ट फीस और प्रभारों का संचाय करने पर कार्यवाही के अभिवचनों और अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण या उनकी प्रतियां देने की अनुज्ञा दी जाए।

(2) ऐसा निरीक्षण केवल रजिस्ट्रार की उपस्थिति में अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन अपेक्षित कार्यवाहियों की प्रतियों को रजिस्ट्रार द्वारा सत्य प्रतिलिपियों के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्राधिकृत प्राधिकारी, जो कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, को सभी युक्तियुक्त समय पर अधिकरण की कार्यवाहियों की फाइल का निरीक्षण निःशुल्क करने का हकदार होगा और अधिकरण उपर्युक्त अधिकारियों को ऐसी प्रतियां या उद्धरण उनके द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराएगा।

14. अधिकरण का आदेश या निर्णय.—अधिकरण के प्रत्येक आदेश या निर्णय पर तारीख के साथ अध्यक्ष और उस मामले की सुनवाई करने वाले सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे :

परंतु यदि अध्यक्ष या सदस्य अंतिम निष्कर्ष से विसम्मति प्रकट करता है तब वह तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर करके अलग से अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

15. त्रुटियों की परिशुद्धि.—अधिकरण की किसी कार्यवाही, कार्यवाही में संशोधन, घोषणा या आदेश में कोई लिपिकीय या गणितीय गलती या त्रुटि हो तो उसे किसी भी समय अधिकरण द्वारा उसके समावेदन पर या किसी पक्षकार के आवेदन पर ठीक किया जाएगा।

16. निर्वाचन.—यदि इन विनियमों के निर्वाचन के बारे में कोई संदेह है तब इस विषय को अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा जो विनिर्दिष्ट या साधारण आदेश द्वारा इन प्रक्रियाओं में से किसी प्रक्रिया के प्रवर्तन के संबंध में, लिखित में कारण अभिलिखित करके, उपांतरण, अधित्यजन या छूट देने की शक्ति होगी।

अशोक मेनन, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन III/4/191-ए/11/असा.]

THE COMPETITION APPELLATE TRIBUNAL NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2011

F. No. 9/22/2010-CS.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 53-O of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition

Appellate Tribunal hereby makes the following regulations for regulating the procedure of appeals and applications, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Competition Appellate Tribunal (Procedure) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
- (b) "appeal" means an appeal filed under sub-section (1) of Section 53B of the Act;
- (c) "appellant" means a person who has filed an appeal under sub-section (1) of Section 53B of the Act;
- (d) "application" means an application for claim for compensation filed under Section 42A or sub-section (1) of Section 53N or sub-section (2) of Section 53Q of the Act;
- (e) "authorised representative" means—
 - (i) an individual in case of an individual complaint, sole proprietor of a proprietorship firm,
 - (ii) the Karta in case of Hindu Undivided Family,
 - (iii) the Managing Director of the Director, duly authorised by the Board of Directors in case of a company,
 - (iv) the President or the Secretary in case of an association or society,
 - (v) a partner in case of a partnership firm,
 - (vi) the Chief Executive Officer of the co-operative society or the local authority,
 - (vii) the Joint Secretary of the Government of India or a State Government, or
 - (viii) the Chief Executive Officer in case of a statutory authority;
- (f) "Chairperson" means the Chairperson of the Tribunal appointed under sub-section (1) of Section 53D of the Act;
- (g) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of Section 7 of the Act;
- (h) "Member" means a member of the Competition Appellate Tribunal appointed under sub-section (2) of Section 53D of the Act;
- (i) "party" means a person who files an application or who prefers an appeal before the Tribunal and includes respondent to such application or appeal, as the case may be;

- (j) "Registrar" means Registrar of the Tribunal and includes the Deputy Registrar of the Tribunal;
- (k) "Registry" means the registry of the Competition Appellate Tribunal;
- (l) "Tribunal" means the Competition Appellate Tribunal established under sub-section (1) of Section 53A of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Competition Act, 2002 (12 of 2003) shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. Language of Tribunal.—(1) The proceedings of the Tribunal shall be conducted in English.

(2) No appeal, application, document or other papers contained in any language other than English, shall be accepted by the Tribunal unless the same is accompanied by a translation thereof in English attested by a translator and countersigned by the party concerned.

4. Sittings of Tribunal.—The Tribunal shall ordinarily have sittings at its headquarters at New Delhi and at such places as the Chairperson may by general or special order direct.

5. Official seal of Tribunal.—(1) Every notice, order and judgment of the Tribunal shall bear the seal of the tribunal.

(2) The official seal of the tribunal shall be in the custody of the Registrar.

6. Functions of Registrar.—The Registrar shall—

- (a) receive and register appeals, applications, interlocutory and all other miscellaneous applications relating to such appeals or applications, as the case may be;
- (b) maintain all records of the Tribunal;
- (c) represent the Tribunal before the Supreme Court in the event of an appeal under Section 53(T) of the Act; and
- (d) perform such other functions as the Chairperson may, from time to time, direct.

7. Registration of appeal or application.—(1) Every appeal or application supported by an affidavit and a certified copy of the impugned direction, decision or order of the Commission, shall be verified and if found to be in order, be registered by the Registrar and shall be given a serial number.

(2) If the appeal, on scrutiny, is found to be defective, the appellant shall be advised to rectify the defects and after rectification of the defects by the appellant, the appeal shall be registered.

(3) The appeal registered shall be put up for hearing before the Tribunal with a notice to the appellant and the Tribunal, after hearing the appellant, may either dismiss it summarily or direct issue of notice to all necessary parties or may make such orders as the circumstances of the case may require.

(4) In case, the Tribunal directs issuance of notice to the concerned parties, the Registrar shall issue notice, along with the order of the Tribunal and copy of the appeal to all the respondents.

(5) Where at any stage prior to the hearing of the appeal, the appellant desires to withdraw his appeal, he shall make an application to that effect to the Tribunal.

8. Pleadings before Tribunal.—(1) Appeal or application, counters, rejoinders, supplemental pleadings or other documents, as the case may be, shall be accompanied by four copies thereof for the Tribunal's record and such additional number of copies thereof for being served on respondents.

(2) No pleadings, subsequent to the reply, shall be presented except by the leave of the Tribunal upon such terms as the Tribunal may think fit.

9. Service of notice or other documents.—Every notice or other document, required to be served on or delivered to any person, may be sent by the Registrar by speed post or by courier or by e-mail to the person or his agent empowered to accept service.

10. Adjournment of hearings.—The Tribunal may, if sufficient cause is shown at any stage of any proceeding, adjourn the hearing for such time or date as it may consider appropriate provided that in any case, the Tribunal shall not grant more than three adjournments during the course of the whole proceeding.

11. Ex-parte hearings.—If a party to the proceeding does not appear on the day fixed for hearing, the Tribunal may continue with the proceedings in the absence of such party.

12. Custody of records.—The Registrar shall maintain the records of the Tribunal and no record or document filed in any case or matter shall be allowed to be taken out of the custody of the Tribunal without the leave of the Tribunal.

13. Inspection and certified copies of documents and other papers.—(1) A party to any proceeding before the Tribunal may, subject to the provisions of the Act, on an application made by it or on its behalf, addressed to the Registrar, be allowed to inspect or obtain copies of pleadings and other documents or records in the proceeding on payment of fees and charges specified in the Rules.

(2) An inspection shall be allowed only in the presence of the Registrar.

(3) Copies of the proceedings, required under sub-regulation (1) or (2), may be certified, as true copies, by the Registrar.

(4) Every authorised officer, not below the rank of Under Secretary to the Central Government or the State Government or the Competition Commission of India shall, at all reasonable times, be entitled free of charge inspection of the file of proceedings of the Tribunal and the Tribunal shall provide such copies or extracts to the aforesaid officers, as they may request in writing.

14. Order of judgment of Tribunal.—Every order, or judgment of the Tribunal shall be signed and dated by the Chairperson and Members who have heard the case :

Provided that the Chairperson or a Member who

dissents with the final conclusion, shall record his reasons separately under his signature and date.

15. Rectification of errors.—Any clerical or arithmetical mistakes in any proceeding, amendment of proceeding, declaration or order of the Tribunal or error may, at any time, be corrected by the Tribunal, either on its own motion or on the application of any party.

16. Interpretation.—In case of any doubt as to the interpretation to these regulations, the matter shall be placed before the Chairperson who shall have the power to modify, waive and exempt the operation of any of these procedures by specific or general order and for reasons to be recorded in writing.

ASHOK MENON, Registrar

[ADVT. III/4/191-A/11/Exty.]